



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25062021-227870  
CG-DL-E-25062021-227870

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2348]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ 4, 1943

No. 2348]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2021

का.आ. 2526(अ).—जबकि भारी उद्योग विभाग ने दिनांक 8 मार्च, 2019 के का.आ. संख्या 1300(अ) के माध्यम से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया चरण-II) को अधिसूचित किया था,

2. और जबकि फेम इंडिया फेज-II स्कीम की धारा 5 कहती है कि "देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के त्वरित अंगीकरण और इसके विनिर्माण पारितंत्र के विकास के लिए स्कीम को 01 अप्रैल, 2019 से 3 वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है,

3. अब, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि फेम इंडिया स्कीम, चरण-II को दो वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च, 2024 तक के लिए विस्तारित किया जाएगा।

4. अतः, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण स्कीम, चरण-II (फेम इंडिया फेज-II) संबंधी दिनांक 8 मार्च, 2019 की अधिसूचना संख्या 1300(अ) तदनुसार संशोधित की जाती है।

[फा. सं. 6(02)/2019-एनएबी-II(ऑटो)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES****(Department of Heavy Industry)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25 June, 2021

**S.O. 2526(E).**—Whereas, the Department of Heavy Industry notified the scheme namely Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) *vide* S.O. No. 1300 (E) dated 8<sup>th</sup> March 2019.

2. And whereas, Clause 5, of the FAME India Phase II scheme states “The scheme is proposed to be implemented over a period of 3 years, w.e.f 1<sup>st</sup> April 2019, for faster adoption of electric mobility and development of its manufacturing eco-system in the country”.

3. Now with the approval of the competent authority, it is decided that FAME India Phase II scheme is extended for a period of two (2) years i.e. up to 31<sup>st</sup> March 2024.

4. Therefore, Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles in India Phase II (FAME India Phase II) scheme notification *vide* S.O. No. 1300(E) dated 8<sup>th</sup> March 2019 stands amended accordingly.

[F. No. 6(02)/2019-NAB-II(Auto)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.